<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>16-08-2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने फीविन ऐप आधारित ऑनलाइन सट्टेबाजी/गेमिंग धोखाधड़ी के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अरुण साहू, आलोक साहू, चेतन प्रकाश और जोसेफ स्टालिन नामक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।

ईडी ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप "फीविन" के माध्यम से धोखाधड़ी और साजिश के लिए अज्ञात जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत कोलकाता के कोसीपुर पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि चीनी नागरिक भारतीय नागरिकों की मदद और समर्थन से ऐप का संचालन कर रहे थे। फीविन ऐप के माध्यम से भोले-भाले ऑनलाइन गेमर्स से जुटाए गए फंड को विभिन्न व्यक्तियों (रिचार्ज व्यक्ति कहलाने वाले) के बैंक खातों में जमा किया गया था, जिन्होंने कुछ कमीशन के बदले में ऐप मालिकों को अपने खातों का उपयोग करने की अनुमति दी थी। उड़ीसा के राउरकेला में रहने वाले अरुण साहू और आलोक साहू ने "रिचार्ज पर्सन" के रूप में काम किया था और उनके बैंक खातों में फीविन ऐप से प्राप्त धनराशि को क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया गया था। उन्होंने फीविन ऐप से अर्जित क्रिप्टो करेंसी को विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस पर चीनी नागरिकों के वॉलेट में जमा किया और उसका शोधन किया।

बिहार के पटना में रहने वाले इंजीनियर चेतन प्रकाश ने आईएनआर को क्रिप्टो करेंसी (यूएसडीटी) में बदलने में ऐसे "रिचार्ज पर्सन्स" को मदद करके मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चेन्नई में रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर जोसेफ स्टालिन नामक एक अन्य व्यक्ति ने गांसु प्रांत के पाई पेंग्युन नामक चीनी नागरिक को उसके स्वामित्व वाली कंपनी स्टूडियो 21 प्राइवेट लिमिटेड का सह-निदेशक बनने में मदद की। पाई पेंग्युन ने ऐप से संबंधित थोक भुगतान सेवाओं के लिए स्टूडियो 21 प्राइवेट लिमिटेड के खाते का उपयोग किया, जिससे उन्हें शुरुआत में गेमर्स का विश्वास हासिल करने में मदद मिली और ऐप उपयोगकर्ताओं से बड़े दांव लगाने के लिए प्रेरित किया।

पाई पेंग्युन ने ऐप से संबंधित थोक भुगतान सेवाओं के लिए स्टूडियो 21 प्राइवेट लिमिटेड के खाते का उपयोग किया, जिससे उन्हें शुरुआत में गेमर्स का विश्वास हासिल करने में मदद मिली और ऐप उपयोगकर्ताओं से बड़े दांव लगाने के लिए प्रेरित किया। भुगतान सेवाओं के लिए उपयोग की जाने वाली धनराशि जोसेफ स्टालिन द्वारा चीनी संचालकों द्वारा नियंत्रित वॉलेट से अपने बिनेंस खाते में क्रिप्टो करेंसी के रूप में प्राप्त की गई थी। बदले में उन्होंने बिनेंस पर पी2पी मोड के माध्यम से क्रिप्टो बेचकर यूएसडीटी क्रिप्टो करेंसी को आईएनआर में बदल दिया।

ईडी की जांच में आगे पता चला कि फीविन ऐप आधारित धोखाधड़ी से 400 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि उत्पन्न हुई और उसके बाद चीनी नागरिकों के नाम पर 8 बिनेंस वॉलेट में जमा कर दी गई। एक्सेस आईपी लॉग से पता चला है कि ये वॉलेट चीनी मुख्य भूमि से संचालित किए गए थे। चीनी नागरिकों ने डिजिटल संचार विशेष रूप से टेलीग्राम समूहों के माध्यम से उपरोक्त नामित आरोपियों के साथ संवाद किया और निर्देश दिए। चूंकि उपरोक्त 4 व्यक्ति अर्थात् अरुण साहू, आलोक साहू, चेतन प्रकाश, जोसेफ स्टालिन ने फीविन ऐप आधारित घोटाले में सक्रिय भूमिका निभाई है और वे मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल पाए गए हैं, इसलिए उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और माननीय विशेष

न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने सभी चार आरोपियों को 14 दिनों की अवधि के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

आगे की जांच हो रही है।